न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1516/2003/बीकानेर

रामी उपनाम रामेश्वरी पुत्री सार्दूलाराम पत्नि रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला हनुमानगढ

.....अपीलार्थी/प्रतिवादिया

बनाम

1– चिरंजीलाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

.....प्रत्यर्थी/वादी

2– विद्यादेवी पुत्री सार्दूलाराम पत्नि भादरदत्त जाति ब्राह्मण निवासी चक 9 ए.एस. तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

3– तीजां विधवा जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

4– राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणकरणसर जिला बीकानेर।

..प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड–पीठ

श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थितः

श्री मनीष पण्ड्या, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः **24.03.2025**

हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2002 में पारित निर्णय दिनांक 31–12–2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/वादी चिरंजीलाल ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं0 2 से 4 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,

89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 414 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 702 रकबा 54 बीघा, 1220 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम कालू में स्थित है। यह भूमि पहले स्व0 सार्दूलाराम पुत्र बुद्धाराम जाति ब्राह्मण निवासी कालू तहसील लूणकरणसर की खातेदारी में थी। सार्दूलाराम की मृत्यु वर्ष 1955 में हो जाने के बाद उक्त भूमि उसकी पुत्र–वधू तीजा प्रतिवादी सं0–1 (वर्तमान प्रत्यर्थी सं0–3) के नाम की गयी जिसका विरासतन नामांतरकरण सं0 79 तीजा के नाम स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी सं0–1 द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी सं0–3 से क्रय की गई और अब वह लगातार उस भूमि पर काबिज कश्त है तथा उसकी खातेदारी में नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसको प्रतिवादीगण विक्रय करने पर उतारू हैं। अतः वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। प्रतिवादी सं0–1 से 3 ने अपने जवाब के साथ काउण्टर क्लेम भी पेश किया। वादी की ओर से काउण्टर क्लेम का जवाब पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा दावा, जवाबदावा एवं काउण्टर–क्लेम व उसके जवाब के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की गई। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–5–2002 द्वारा वाद स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादी सं0–1 डिक्री किया एवं वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी सं0–1 मु0 तीजा बेवा जगदीश प्रसाद का नाम हटाये जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर हाल अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी सं0–2 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनां 31–12–2002 द्वारा अपील अपीलांट अस्वीकार कर दी। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–2002 से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि किसी दुर्गाराम नामक व्यक्ति द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्टर सन् 1996 में सार्दूलाराम की मृत्यु 10–02–1955 को होना अंकित करवाया है, जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी श्रीमती तीजा विधवा जगदीश द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्टर सन् 1997 में सार्दूलाराम की मृत्यु दिनांक 04–03–1972 को होना अंकन करवाया है। चूंकि जगदीश की मृत्यु बीमारी से पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर में हुई थी जिस समय सार्दूलाराम जीवित था, अतः सन् 1955 में सार्दूलाराम की मृत्यु होना मिथ्या कथन है। इन तथ्यों को दरकिनार कर परीक्षण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में पूर्व प्रविष्टि को हटाने का आदेश दिया है। उनका कथन है कि गम्भीरता से देखा जाए तो वाद पेश करते

समय वादी ने सार्दूलाराम की मृत्यु की दिनांक नहीं दर्ज कराकर केवल सन् 1955 दर्ज करवाया है। नामांतरकरण 17 वर्ष पश्चात् दिनांक 14–6–1972 को कराया है। जन्म मृत्यु रजिस्टर में दुर्गाराम नामक व्यक्ति द्वारा दिनांक 05–02–1996 को सार्दूलाराम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाई गई है। इससे यही प्रकट होता है कि येन–केन–प्रकारेण सादुलराम का वर्ष 1955 में देहान्त होना बताने का प्रयास किया गया ताकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0–3 विद्या जो कि सार्दूलाराम की पुत्रियां है, उनको अपने पिता की भूमि से हिस्सा न मिल सके। वास्तविकता यह है कि सार्दूलाराम की मृत्यु दिनांक 04–03–1972 को हुई व उसके पुत्र जगदीश की उससे पहले दिनांक 05–03–1964 को मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी प्रविष्ट निःसंदेह 1997 में करवाई गई है, किन्तु यह प्रविष्टि स्वयं श्रीमती तीजा विधवा जगदीश ने करवाई है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते एवं विवादित भूमि पर स्थगन आदेश होते हुए भी सम्पूर्ण भूमि का श्रीमती तीजा द्वारा बेचान किया गया है जबकि उसे केवल अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था। विद्वान अभिभाषक महोदय द्वारा हस्तगत अपील में बहस के दौरान सार्दूलाराम पिता कुंभाराम की मृत्यु प्रमाण पत्र (जिसमें मृत्यु दिनांक 04–3–1972 अंकित की गई है) की छाया प्रति, जन्म–मृत्यु पंजीयन–रजिस्टर की प्रति, मोहन लाल व बिसना राम के शपथ–पत्र तथा नकल नामान्तकरण अपील संख्या 244/95 में निर्णय दिनांक 17–3–1997 की प्रति प्रस्तुत करते हुये इनका अपील के समर्थन में पुष्ठ होना बता कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने सभी तनकियों पर विस्तृत विवेचना करते हुए यह पाया है कि सार्दूलाराम की मृत्यु वर्ष 1955 में हुई थी तथा नामांतरकरण सं0 79 बहक मु0 तीजा सम्पूर्ण जांच उपरांत तस्दीक किया है। वादीगण ने सार्दूलाराम की मृत्यु दिनांक बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया था, जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भी निर्णय में स्पष्ट किया है। जिस सरपंच द्वारा उक्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया था, उसका अब उक्त नामांतरकरण को गलत तस्दीक किया जाने के कथन से उसे विश्वसनीय गवाह नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी बाबत बयनामा में अंकित कथन से प्रतिवादी सं0–1 तीजा स्वयं स्टोप्ड है। वादी चिरंजीलाल ने प्रतिफल देकर ही भूमि क्रय की है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि बयनामा अगर धोखा देकर या बिना राशि के आदान प्रदान किये किया गया है, तो उसकी सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने पर ही अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित किये हैं, जिनमें इस

द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आलौच्य निर्णय व दस्तावेजों के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालय पत्रावलियों का आद्योपान्त परिशीलन किया।

7– प्रत्यर्थी चिरंजीलाल द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगणों के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत दावे में विचारण न्यायालय ने दावा तथा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का विवेचन कर कुल 8 तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षों के साक्ष्य लेते हुए वादी के दावे को दिनांक 14–5–2002 को डिक्री किया गया। वादी पक्ष ने वाद के समर्थन में दस्तावेजी एवं मौखिक दोनों साक्ष्य जबकि प्रतिवादी पक्ष ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में इन साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण किया जाना पाया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण रामी व विद्या द्वारा दायर अपील पर विचारण न्यायालय के निर्णय को विवेचन उपरांत निर्णय दिनांक 31–12–2002 द्वारा अपील खारिज कर दी गई।

8– अधीनस्थ न्यायालयों तथा हस्तगत अपील में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण पक्ष ने सार्दूलाराम की पुत्रीयों रामी व विद्या का अपने पिता सार्दूलाराम की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात दिनांक 04–3–1972 को होना जाहिर कर विवादित भूमि में तीजा विधवा जगदीश के साथ–साथ उनके भी हक अधिकार होना बताया है। अपीलार्थी अनुसार विचारण न्यायालय में प्रस्तुत सार्दूलाराम की मृत्यु दिनांक 10–2–1955 को होने के समर्थन में प्रस्तुत किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र सही नहीं था, जबकि उनके द्वारा सार्दूलाराम की मृत्यु दिनांक 04–3–1972 को होने के आशय के प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र पर विचारण न्यायालय ने कोई विचारण नहीं किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली व निर्णय के परिशीलन अनुसार वादी पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में सार्दूलाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य को अन्यथा साबित करवाने अथवा सार्दूलाराम की मृत्यु दिनांक 04–3–1972 को होने की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया था। विचारण न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्यों के साथ–साथ इस बिन्दु को भी निर्णय में शामिल किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इसे मुख्य बिन्दु मानते हुये इस पर तथ्यपरक एवं विधिक विश्लेषण करते हुए निर्णय दिया गया है।

9– अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति का अवलोकन करने पर इसमें सार्दूलाराम की वल्दियात बुद्धाराम न होकर कुंभाराम अंकित होने से इसे अपीलान्ट के पिता हेतु ही जारी होना स्पष्ट

नहीं है। हमारा अभिमत है कि अगर प्रतिवादीगण के पास सार्दूलाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र दस्तावेज था तो उन्हें इसे प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाना चाहिए था। हम विचारण न्यायालय के मात्र मौखिक व अस्पष्ट बयानों से वादी पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य का खंडित न हो सकने के निष्कर्ष से सहमत हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में इस बिन्दु को विधिक आधार पर स्पष्ट रूप से विवेचित किया गया है।

10– प्रतिवादी पक्ष द्वारा दावे में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में तीजां का वादी चिरंजीलाल के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05–6–1995 को धोखाधड़ी व फर्जकारीपूर्वक बिना पूरा प्रतिफल दिये सम्पादित होना तथा इसके आधार पर इसे प्रभावशून्य घोषित करने की रिलीफ चाही है। इस बिन्दु पर हमारा मत है कि उल्लेखित आधारों पर विक्रय पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। स्वयं प्रतिवादी विद्या के पुत्र ओमप्रकाश की इस दस्तावेज में बतौर गवाह तस्दीक भी उनके क्लेम को कमजोर करती है। विक्रय पत्र में तीजां देवी ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुए चिरंजीलाल को विवादित भूमि के समस्त हक हकूक दे देना स्वीकार किया है, इसलिए विक्रय पत्र में अंकित स्वीकारोक्ति के विरूद्ध मौखिक साक्ष्यों द्वारा व्यक्त कोई उजर स्वीकारोचित नहीं है। चिरंजीलाल ने खातेदार तीजां से पंजीकृत दस्तावेज के मार्फत भूमि क्रय की है इसलिए अपीलार्थी की भूमि हस्तांतरण विधिसम्मत न होने की आपत्ति पुष्ट नहीं है। वादी द्वारा नमान्तकरण अपील अस्वीकार होने पर घोषणा के नियमित वाद के रूप में अपना दावा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा निर्णय में विचारण न्यायालय के निर्णय को सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर तथ्यपरक व विधिक विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होकर साक्ष्यों का पूर्ण परीक्षण करने उपरान्त दिये गये हैं, जिनमें क्षैत्राधिकार के साथ–साथ कोई तथ्यपरक अथवा विधिक आधार पर कोई त्रुटि न होने से हम द्वितीय अपील के स्टेज पर इनमें कोई हस्तक्षेप की गुंजाइश होना नहीं मानते हैं।

11– उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य